

दलित पहचान और सशक्तिकरण: दलित आंदोलन पर अंबेडकर का प्रभाव

शोधार्थी - दीपक कुमार अहिरवार

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी

पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय

बेगमगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश

शोध निर्देशक - डॉ. संतोष कुमार अहिरवार

सहायक प्राध्यापक हिन्दी

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेन्स शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम, म. प्र.

Received– 07 September - 2026

Accepted– 10 September - 2026

Published– 30 September-2026

Corresponding Author-

दीपक कुमार अहिरवार

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी

पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय - बेगमगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश

DOI- <https://doi.org/10.67275/SU.2026.041511>

Funding Policy-

‘Shodh Utkarsh’ is an independent journal and receives no financial support or grant from any public, commercial, or not-for-profit organization.

वित्त पोषण नीति-

‘शोध उत्कर्ष’ एक स्वतंत्र पत्रिका है। इसे किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या गैर-लाभकारी संगठन से कोई वित्तीय सहायता, अनुदान या फंडिंग प्राप्त नहीं होती है।

Copyright Notice -

© 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).

कॉपीराइट सूचना-

© 2026 लेखक। यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स अ Attribution 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस (CC-BY 4.0) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है।



शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र ‘दलित पहचान और सशक्तिकरण: दलित आंदोलन पर अंबेडकर का प्रभाव’ विषय पर आधारित है। इस शोध पत्र में डॉ. अंबेडकर के द्वारा किए गए आंदोलनों का वर्णन किया गया है। साथ ही दलितों को पहचान दिलाने के लिए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रयासों का वर्णन किया गया है। डॉ. अंबेडकर एक सामाजिक क्रांति के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन उनके लिए विशेष महत्त्व रखता है। डॉ. अंबेडकर समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के आदर्श पुरुष माने जाते हैं। महाराष्ट्र के महाड़ नामक स्थान पर चावदार तालाब में दलितों के अलावा अन्य वर्ग यहाँ तक की जानवर भी तालाब का पानी पी सकते थे लेकिन दलित नहीं। वहाँ डॉ. अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 में अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक दिलाया जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस दिन को ‘सामाजिक सशक्तिकरण दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। ‘कालाराम मंदिर सत्याग्रह’ दलित एवं वंचितों के संघर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है। 02 मार्च 1930 को महाराष्ट्र के नासिक में डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन शुरू हुआ जिसे नासिक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के तहत डॉ. अंबेडकर ने दलितों को मंदिर प्रवेश कराया। डॉ. अंबेडकर के उक्त दोनों आंदोलनों ने दलितों को पहचान दिलाई है तथा उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज डॉ. अंबेडकर को दलित वर्ग अपना मसीहा मानता है। डॉ. अंबेडकर सामाजिक विषमता के विरोधी एवं सामाजिक एकता के पक्षधर थे। समता उनके मूल में थी। दलितों की मुक्ति के लिए अनेक प्रयास डॉ. अंबेडकर ने किए हैं। डॉ. अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया ताकि दलित वर्ग भेदभाव रहित हो और सामाजिक जातिभेद से मुक्ति पा सके।

शब्द कुंजी - दलित, दलित पहचान, दलित सशक्तिकरण, दलित आंदोलन, दलित आंदोलन पर अंबेडकर का प्रभाव, महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, बौद्ध धर्म ग्रहण आंदोलन आदि।

प्रस्तावना

दलितों की पहचान एवं सशक्तिकरण के लिए श्रद्धेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका है। बाबा साहब ने अपने कठोर परिश्रम एवं तीक्ष्ण बुद्धि से न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा एवं पहचान कायम की वरन् उन्होंने पूरे दलित वर्ग को प्रतिष्ठा एवं पहचान दिलायी है। आज जितने भी दलित आंदोलन सक्रिय हैं उन पर बाबा साहब अंबेडकर का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बाबा साहब के नाम पर अपेक्षाकृत अधिक जन समुदाय इकट्ठा हो जाता है। बाबा साहब के नाम से कई सामाजिक संगठन चल रहे हैं एवं राजनीतिक पार्टियां भी उनकी विचारधारा पर चल रही हैं। विभिन्न प्रकार के शासकीय एवं अशासकीय संगठन बाबा साहब के नाम पर पंजीकृत हैं। बाबा साहब एक आंदोलन के प्रतीक हैं। नीला रंग क्रांति का प्रतीक है जो कि बाबा साहब को पसंद था। इस नीले रंग पर दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी एवं वर्तमान में आजाद समाज पार्टी कार्य कर रही हैं। बाबा साहब ने अपने समय में दलितों को पहचान दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यम किए हैं। विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया है। जहाँ भी सामाजिक, धार्मिक, जातिगत

भेदभाव हुआ है बाबा साहब ने उसका समूल नाश करने का कार्य किया है। महाड़ सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह इसके सशक्त प्रमाण हैं।

दलित: दलित शब्द को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। दलित अर्थात् जिसका दलन हुआ है वो दलित है। दलित साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि ने दलित शब्द का अर्थ इस प्रकार लिया है- “‘दलित’ शब्द का अर्थ है- जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ, मसला हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट, मर्दित, पस्त-हिम्मत, हतोत्साहित, वंचित आदि।”¹ अब बात करते हैं दलित के अंतर्गत कौन-कौन आता है? कुछ विद्वान दलित के अंतर्गत अनुसूचित जाति को ही दलित मानते हैं तो कुछ विद्वान अनुसूचित जनजाति को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। वहीं कुछ विद्वान इसके व्यापक स्वरूप को मानते हुए इसमें पिछड़ा वर्ग एवं सभी महिलाओं को दलित के अंतर्गत रखते हैं। दलित शब्द पर विचार करते हुए डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन का मत इस प्रकार है- “दलित वह है जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है।”²

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर महात्मा बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित थे इसलिए उनके व्यक्तित्व में बुद्ध दर्शन परिलक्षित होता है। डॉ. अंबेडकर ने तीन गुरुओं से शिक्षा ली है। उन्होंने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है एवं उनसे बेहद प्रभावित हुए हैं। इन गुरुओं में महात्मा बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले हैं। डॉ. अंबेडकर के व्यक्तित्व में उक्त तीनों महापुरुषों की विचारधारा सम्मिलित है। यही कारण है कि डॉ. अंबेडकर की सामाजिक दृष्टि में आमलचल परिवर्तन हुआ है, विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है और सामाजिक समता की पक्षधरता उनके अंदर पायी जाती है। डॉ. अंबेडकर ने एक ओर ब्राह्मणवाद, सामंतवाद का विरोध किया है तो दूसरी ओर वर्णविहीन एवं वर्गविहीन समाज की पक्षधरता की वकालत की है। “डॉ. अंबेडकर ने दलितों में चेतना जगाकर उन्हें मुक्ति-संघर्ष से जोड़ा। वर्ण-व्यवस्था ने जो उन पर गुलामी के बंधन कसे थे, उन्हें तोड़ने में डॉ. अंबेडकर का आन्दोलन जहाँ एक ओर सामाजिक और वैचारिक आंदोलन था, वहीं वह राजनीतिक आन्दोलन भी था।”³

भारत ग्राम प्रधान देश है इसलिए सर्वाधिक आबादी गांवों में निवास करती है। गांव में पुरानी परंपराएं एवं प्रथाएं विद्यमान रहती हैं एवं सामाजिक बंधनों में व्यक्ति जकड़ा रहता है। स्वाभाविक है दलित वर्ग भी ज्यादा गांवों में निवास करता है। ब्राह्मणवाद एवं सामंतवाद का शिकार सबसे ज्यादा दलित ही होता है। “डॉ. अंबेडकर ने गाँव को भारतीय गणतन्त्र की अवधारणा का शत्रु माना था। उनके अनुसार हिन्दुओं की ब्राह्मणवादी और पूँजीवादी व्यवस्था का जन्म भारतीय गाँव में ही होता है। डॉ. अंबेडकर का कहना है कि भारतीय गाँव हिन्दु-व्यवस्था के कारखाने हैं। उनमें ब्राह्मणवाद, सामन्तवाद और पूँजीवाद की साक्षात अवस्थाएँ देखी जा सकती हैं। उनमें स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय गाँव ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग हो सकते हैं, परन्तु दलितों के लिए तो वे नरक ही हैं।”⁴

डॉ. अंबेडकर ने कड़ी मेहनत करके समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने दलित वर्ग के लिए स्वतंत्रता, संघर्ष, समता, बंधुता तथा विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि डॉ. अंबेडकर के प्रादुर्भाव से दलित वर्ग सशक्तिकरण

की ओर अग्रसर है। डॉ. तुलसीराम के शब्दों में - “बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय राजनीति में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का उदय हुआ। अतः वर्तमान दलित राजनीति तथा साहित्य का जो भी रूप है, उसकी जड़ में डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष आज भी खाद-पानी की तरह काम आ रहा है।”⁵

महाड़ सत्याग्रह: 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में अछूतों को चावदार तालाब से पानी पीने पर प्रतिबंध था। 19 मार्च को जब चावदार तालाब में पानी पीने के लिए गए तो उनके साथ मारपीट की गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पानी के लिए इतनी जद्दोजहद समाज को करनी पड़ती है। पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता लेकिन कुछ लोग पानी को केवल अपनी बापौती समझते हैं। खैर पानी के और भी कई किस्से हैं। स्वयं बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल में घड़े से पानी पीने की मनाही थी। जब कोई कर्मचारी डंके से पीलाता था तभी पानी पी पाते थे अन्यथा उन्हें प्यासा ही रहना होता था। चावदार तालाब का पानी अछूतों के लिए निषेध था परंतु वहीं अन्य धर्म के लोग पानी पी सकते थे यहां तक की जानवरों को भी पानी पीने की इजाजत थी लेकिन अस्पृश्य तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। “किंतु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। महाड़ के स्पृश्य लोग इतने अधिक समझदार हैं कि वे स्वयं तो तालाब का पानी ले जाते हैं, साथ ही उन्होंने अन्य धर्म के लोगों को भी पानी भरने की इजाजत दे रखी है। फलस्वरूप मुस्लिम धर्म के लोग तालाब से पानी भरकर ले जाते हैं। मनुष्यों को जाने दे, किंतु पशु, पक्षियों को भी वे पानी पीने से मना नहीं करते हैं। इतना ही क्यों, अछूतों द्वारा पाले गये जानवरों को भी वे तालाब का पानी पीने देते हैं।”⁶

भारतीय परिवेश में वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटक है। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार वर्णों में हिन्दू धर्म विभाजित है। क्रमशः पहले वर्ण से अन्य वर्ण नीचे हैं एवं निम्न हैं। कार्य विभाजन भी पृथक-पृथक है। शूद्र वर्ण को नीचे बताया गया है। इसी वर्ण में अछूत वर्ग आता है जिसे निम्न वर्ग कहा जाता है। “आर्यों ने भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था निर्माण की थी। वह वर्ण-व्यवस्था बौद्ध धम्म के कारण नष्ट हुई, इसका ब्राह्मणों को बड़ा दुख था। क्योंकि इस वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ माना गया था। बौद्ध धम्म के अनुसार जन्म से कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होते, सभी लोग समान होते हैं। बौद्ध धम्म के इस समानता के सिद्धांत के कारण ब्राह्मणों का महत्त्व समाप्त हो गया। इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध की क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति करके बौद्ध धम्म को मूलरूप से नष्ट करने का षडयंत्र रचा। जिसमें ब्राह्मण विजयी हुए, और देश में फिर से वर्ण-व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। कालांतर में वर्ण-व्यवस्था का रूपान्तर जातिव्यवस्था में किया गया, ताकि कोई शूद्र वर्ण-व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सके। वर्ण-व्यवस्था का रूपान्तर जातिव्यवस्था में करने के बावजूद एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि ब्राह्मण वर्ण का रूपांतर एक ही ब्राह्मण जाति में किया गया। लेकिन क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का विभाजन अलग-अलग जातियों में किया गया।”⁷

वर्णव्यवस्थानुसार निम्न वर्ग उच्च वर्ण की बराबरी करें यह वर्ण व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वर्णव्यवस्था समानता के बिल्कुल उलट है और यही कारण है कि अछूत वर्ग के प्रति समानता का व्यवहार करना इनके लिए अनुचित लगता है। “महाड़ के स्पृश्य लोग अछूतों को चवदार तालाब का पानी पीने नहीं देना

चाहते हैं। कारण यह नहीं कि पानी को अछूतों द्वारा स्पर्श किए जाने पर वह पानी दूषित होगा या फिर भाप बनकर उड़ जायेगा। अछूतों को पानी पीने से रोकने का एकमात्र कारण यह है कि शास्त्रों ने जिन जातियों को नीच घोषित किया है, उन जातियों को तालाब का पानी भरने की इजाजत देकर, वे जातियां हमारी तरह समान हैं, यह स्वीकार करने की उनकी इच्छा नहीं है।”⁸

डॉ. आंबेडकर चावदार तालाब से पानी पीना न केवल इसलिए चाहते थे कि इस पानी को पीने से उनका उद्धार हो जाएगा बल्कि इसलिए इस पानी का उपयोग करना चाहते थे कि अस्पृश्य लोगों की भी महत्ता है और हम लोग भी आदमी हैं और हमारे साथ आदमियों जैसा व्यवहार हो। बाबा साहब इस सत्याग्रह के माध्यम से अस्पृश्य लोगों के भीतर चेतना जागृत करना चाहते थे ताकि यह लोग अपने आप को हीन न समझें तथा अन्याय एवं अत्याचार के विरोध में शंखनाद कर सकें। बाबा साहब दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति थे। वे इस सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे। समानता की आधारशिला रखना उनका मूल मंतव्य था।

“चवदार तालाब का पानी पीकर हम अमर हो जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज तक हमने चवदार तालाब का पानी नहीं पिया, क्या इसलिए हम मर तो नहीं गए? हमें चवदार तालाब पर केवल पानी पीने हेतु नहीं जाना है, वरन् दूसरों की तरह हम भी आदमी हैं, इस कारण हमें तालाब पर जाना है। अतः हमने यह सभा समता की स्थापना हेतु बुलाई है, यह एकदम स्पष्ट है।”⁹

कालाराम मंदिर सत्याग्रह: 2 मार्च 1930 को 15 हजार दलितों ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में भाग लिया। यह सत्याग्रह 5 वर्ष 11 माह एवं 7 दिन तक चला। मंदिरों में जाने के लिए विशेष वर्ग के लोगों को ही अनुमति है। वहीं अछूत वर्ग मंदिर में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह की राह अपना रहे हैं। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के कारण अछूत वर्ग की अध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न हुई है। साथ ही उनमें वैमनस्य उत्पन्न हुआ है। भेदभाव विविध स्तरों पर हुआ है। सामाजिक भेदभाव के साथ धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव हुआ। विद्याध्ययन की विभिन्न बंदिशें वर्ण व्यवस्था की देन हैं। शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित करना शोषण एवं भेदभाव का प्रवेश द्वार है। इसी से विभिन्न प्रकार के भेद दृष्टिगोचर होते हैं। “आज हम मंदिर प्रवेश करने वाले हैं। किंतु मंदिर प्रवेश से आपके प्रश्न हल हो जायेंगे, यह बिल्कुल संभव नहीं है। अपने प्रश्नों का स्वरूप व्यापक है। उनका स्वरूप राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक है। परंतु आज का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह यह उच्चवर्णिय हिंदू मानसिकता को आव्हान है। सैकड़ों वर्षों से उच्चवर्णिय हिंदुओं ने हमें इंसानियत से दूर रखा है। ये हिंदु हमें मानवता के अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। यह प्रश्न मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से निर्माण होने वाला है। हिंदु मन सच्चे मनुष्य को मनुष्य कहने को तैयार यह नहीं है। यही प्रश्न सत्याग्रह से दृष्टिगोचर होगा।”¹⁰

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जाति उन्मूलन के पक्षधर थे। डॉ. आंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयत्न किए हैं। अछूतों के लिए बाबा साहब के प्रयासों को अछूत वर्ग भूला नहीं सकता। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें समानता का अधिकार सबसे पहले स्थान पर रखा है। विषमता इतनी थी कि समानता के अधिकार को संविधान में अधिनियमित करना पड़ा। न्याय, समता और स्वतंत्रता बाबा साहब का ध्येय था। संविधान की उद्देशिका में न्याय, समता और स्वतंत्रता

पर विशेष बल दिया गया है। “दरअसल, दलित-उत्पीड़न लम्बे समय से चली आ रही एक वर्ग विशेष की स्थायी मानसिकता का परिणाम है, जिसका मूल कारण तो आर्थिक है और इसी आर्थिक हित को साधने के लिए ही धर्म और समाज की रूढ़िगत मान्यताओं को हथियार के रूप में लम्बे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, अतः इस व्याधि का यदि कोई इलाज करना है तो वह है इस वर्ग की उस मानसिकता में परिवर्तन करना, जिसके द्वारा दलितों का उत्पीड़न किया जाता है, लेकिन यह एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसमें शताब्दियाँ भी लग सकती हैं, और वह स्वार्थी वर्ग इस प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार होगा भी नहीं, अतः हमें इसके दूसरे इलाज की ओर ध्यान देना होगा, और वह इलाज है, दलित वर्ग को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना। यह तभी हो सकता है, जबकि यह वर्ग शिक्षित होकर अपने हितों के प्रति जागरूक होकर संघर्ष करने के लिए तैयार हो, इस संघर्ष के लिए सम्पूर्ण दलित-वर्ग का संगठित होना नितान्त आवश्यक है, इस सम्बन्ध में मैं डॉ. आम्बेडकर के दलितोत्थान के लिए ‘शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो’ सूत्र को उनके ईमानदार चिन्तन का परिणाम मानता हूँ।”¹¹ अछूत वर्ग को बाबा साहब ने तीन मंत्र दिए हैं। “शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।” इस आदर्श वाक्य को अछूत वर्ग ने अपना मूल मंत्र माना है और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अछूत वर्ग संगठित हो रहा है और अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर रहा है। “अछूतों को अपने मानवीय अधिकारों का एहसास हो तथा अधिकार हासिल करने के लिए उनमें विरोधी लोगों से संघर्ष करने की चेतना पैदा हो, यह ध्येय था, जिसे मैंने साध्य किया है।”¹²

बौद्ध धर्म ग्रहण आंदोलन: हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के कारण दलितों पर विभिन्न प्रकार के गैर मानुषिक व्यवहार किए गए। बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ दलितों का धर्मांतरण कराकर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अछूतों को मनुष्यों की तरह जीने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब जाति व्यवस्था को कोड़ की तरह मानते थे। उनका सपना था कि मनुष्य-मनुष्य में भेद न हो। सभी बंधुता से रहें। हिंदू धर्म के अमानुषिक व्यवहार के कारण उन्होंने कसम खाई थी कि हिंदू धर्म से जीते जी बिदा लूंगा अर्थात् हिंदू धर्म में न मरने करने की कसम खाई थी।¹⁴ अक्टूबर, 1956 को बाबासाहब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबासाहब के धर्मांतरण के कारण दलितों ने हिंदू धर्म का त्याग किया। हिंदू देवी-देवताओं को नकारा। गाँव के हीन काम छोड़ दिए। इसलिए सैवर्ण और दलितों में नए ढंग की अनबन पैदा हुई। इस उथल-पुथल से दलितों को सत्त्व मिल गया। “हम बौद्ध हो गए हैं इसलिए हिंदू धर्म द्वारा हम पर लादे गए हीन काम अब हम नहीं करेंगे”-ऐसी नई चेतना पूरे दलित समाज में जाग्रत हुई।¹³

डॉ. आंबेडकर को भली-भाँति विदित था कि हिंदू धर्म में रहकर दलितों का उद्धार संभव नहीं है इसलिए उन्होंने धर्मांतरण किया। जाति व्यवस्था में निम्न तबके का शोषण होता है। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था पर डॉ. आंबेडकर की दृष्टि अलग थी। वह चाहते थे कि मनुष्य मात्र की एक जाति हो। सब समता एवं बंधुता से रहें। जाति व्यवस्था पर उनकी गहरी टीस थी। डॉ. आंबेडकर ने कबीर की तरह बाह्यडम्बरों का खंडन किया है। वे शिक्षा को एकमात्र ऐसा हथियार मानते थे की विभिन्न प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार, आडंबर शिक्षा रूपी हथियार से परास्त हो जाएंगे। वे शिक्षा को शेरनी का दूध मानते थे। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को मिटाया जा

सकता है। “डॉ. अम्बेडकर निरन्तर उग्र से उग्रतर होते गये, उन्होंने हिन्द-धर्म की आत्मा-परमात्मा, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्मवाद जैसी सभी परिकल्पनाओं का विरोध किया और बताया कि वर्ण-व्यवस्था और जातिवाद पर आधारित शोषण-तंत्र के ये सभी उपकरण हैं जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारी परेशानियाँ दूर नहीं होंगी, इसी चिन्तन का निष्कर्ष यह निकला कि उन्होंने नागपुर की सभा में अपने पाँच लाख अनुयायियों के साथ हिन्द-धर्म को त्यागकर बौद्ध-धर्म ग्रहण किया, लेकिन उन्हें लगा कि इस समस्या का यह आंशिक समाधान है, इस रोग की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए इसे लम्बे इलाज की आवश्यकता है, अतः उन्होंने नारा दिया ‘शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के गाँव-गाँव में अध्ययन केन्द्र खोले।’ डॉ. अम्बेडकर दलित मुद्दों पर निरन्तर संघर्ष करते रहे।”¹⁴

डॉ. अम्बेडकर दलितों में आत्मसम्मान जागृत करना चाहते थे इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं को ढोने से मना किया। उन्होंने अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होने की शिक्षा दी। दलितों के उद्धार हेतु सामाजिक जागृति उत्पन्न की एवं विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दलितों को प्रेरित किया ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे। बाबा साहब स्वयं कानून मंत्री थे इसलिए उनको भली-भाँति विदित था कि जब तक दलित वर्ग सत्ता में नहीं आएगा तब तक पूर्ण रूप में सक्षम नहीं हो पाएगा। उनका मानना था शासन एवं कानून व्यवस्था में दलित वर्ग की सहभागिता हो। “जातिव्यवस्था ने दलित समाज का शोषण किया और दलितों पर पीड़ादायक प्रतिबंध लाद दिए। दुर्बलता, दरिद्रता और अज्ञानता के कारण दलित समाज लूटा गया इसलिए बाबासाहब ने आत्मसम्मान की भावना निर्मित करने की बात कही। बाबासाहब अम्बेडकर ने कहा कि ‘दलितों में आत्मसम्मान का भाव जाग्रत होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि दलितों को सत्ता के सूत्र और कानून बनाने की ताकत हासिल करनी चाहिए।’ लादे गए जीवन की विवशता, असहायता और मजबूरी व गुलामी से जीनेवाले दलितों के लिए यह विचार नए और क्रांतिदर्शी थे।”¹⁵

वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ जैसे पुराण एवं स्मृतियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने ऐसे धर्म ग्रंथ जो दलितों को गुलाम बनाने की शिक्षा देते हैं उन ग्रंथों को त्याज्य बताया है। चूंकि डॉ. अम्बेडकर कानूनविद थे इसलिए उन्होंने समता को महत्त्व दिया है। ऊँच-नीच फैलाने वाले धर्म ग्रंथों से मुंह मोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। दलितों की दासता के लिए मनुस्मृति एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस ग्रंथ को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान जलाया। “विषमता का समर्थन करने वाली मनुस्मृति हमें मान्य नहीं है। ऐसी पोथी को हम क्यों न जलाएँ?”¹⁶ अतः समानता के लिए डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध पत्र में दलितों को पहचान दिलाने के लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलन यथा महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, बौद्ध धर्म ग्रहण आंदोलनों का वर्णन किया गया है। साथ ही दलित शब्द पर संक्षेप में विवेचन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से दलितों में चेतना जागृत होगी एवं डॉ. अम्बेडकर द्वारा दलितों के सशक्तिकरण के लिए किए गए आंदोलनों के महत्त्व का प्रतिपादन होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. वाल्मीकि, ओमप्रकाश, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली, 2001, पृष्ठ 13
2. वही पृ. 13
3. वही पृ. 65
4. वही पृ. 31
5. वही पृ. 67
6. डॉ. अम्बेडकर, भीमराव रामजी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, अनुवाद एवं संपादन-प्रभाकर गजभिये, सुधीर प्रकाशन वर्धा, 2022, पृ. 46
7. डॉ. अम्बेडकर, बी.आर. शूद्रों की खोज, अनुवाद मोजेज माइकेल, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, 2007, पृ. 6
8. डॉ. अम्बेडकर, भीमराव रामजी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, अनुवाद एवं संपादन-प्रभाकर गजभिये, सुधीर प्रकाशन वर्धा, 2022, पृ. 47
9. वही पृ. 47
10. वही पृ. 57
11. डॉ. सिंह एन. दलित चिंतन अनुभव और विचार, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, 2015, पृ. 165
12. डॉ. अम्बेडकर, भीमराव रामजी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, अनुवाद एवं संपादन-प्रभाकर गजभिये, सुधीर प्रकाशन वर्धा, 2022, पृ. 58
13. डॉ. लिंबाले, शरणकुमार, दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, वाणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली, 2016, पृ. 51
14. डॉ. सिंह एन. दलित चिंतन अनुभव और विचार, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, 2015, पृ. 164
15. डॉ. लिंबाले, शरणकुमार, दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, वाणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली, 2016, पृ. 57
16. वही पृ. 58